आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

23/8/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-70/2023-24

(1) बिरसा कच्छप,
(2) बिनोद कच्छप,
(3) मनोज कच्छप,.....आवेदकगण।

बनाम्

(1) श्रीमती हिरामनी कन्डुलना,
(2) जेम्स कन्डुलना, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदकगण (1) बिरसा कच्छप, पिता–स्व० जादो कच्छप, उर्फ जादो उराँव (2) बिनोद कच्छप, पिता–फतरू उराँव (3) मनोज कच्छप, पिता–स्व० डेलवा उराँव निवासी ग्राम–कोकर गितिल कोचा, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी श्रीमती हिरामनी कन्डुलना, पति–दानियल कन्डुलना एवं जेम्स कन्डुलना, पिता–जोन कन्डुलना सभी निवासी ग्राम–कोकर खोरहा टोली, थाना–सदर, जिला–राँची। जेम्स कन्डुलना, पिता–जोन कन्डुलना को दिनांक–17.12.2024 के आदेशानुसार विपक्षी सं०–02 बनाया गया है। विपक्षीगण के द्वारा भूमि को छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कोकर	196	223	1083	29 डी०

आवेदकगण की खतियानी जमीन है। खतियान में बकास्त भुईहरी तथा लगान पानेवाले का नाम राम शहाय मुण्डा नाम दर्ज है तथा रिमार्क कॉलम नं०–17 में बकब्जे मनसा उराँव वल्द जादो उराँव नाम दर्ज है। आवेदकगण अपने शपथ–पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें वंशावली को इस प्रकार दर्शाया गया है। मनसा उराँव अपने पीछे रनसी उर्फ बाहा उराँव, बन्ना उराँव, मंगरा उराँव, जादो उराँव, मांगा उराँव एवं सोमा उराँव को छोड़ गये। मंगरा उराँव अपने पीछे फतरू उराँव, डेलवा उराँव एवं दुर्गा उराँव को छोड़ गये।

कृ०पृ०उल्टे

23/8/25

फतरू उराँव अपने पीछे विनोद कच्छप को छोड़ गये। डेलवा उराँव अपने पीछे मनोज कच्छप को छोड़ गये। दुर्गा उराँव नावल्द है। जादो उराँव अपने पीछे बिरसा कच्छप उर्फ बिरसा उराँव को छोड़ गये। बंधना उराँव, मंगरा उराँव, जादो उराँव, मंगा उराँव एवं सोमा उराँव बनाम् रनसी उराँव उर्फ बाहा उराँव के बीच व्यवहार न्यायालय, राँची के मुंसिफ कोर्ट में एक टाईटल सूट चला जिसका टाईटल सूट नं०–216/1959 है, इसमें सभी के हिस्सा को कोर्ट द्वारा दे दिया गया है और फाईनल डिक्री भी बन गया। वर्णित भूमि को न्यायालय के द्वारा Schedule C में जादो उराँव को खाता सं०–223, प्लॉट सं०–1083/C, कुल रकबा–0.145 एकड़ मिला। इस वाद में आवेदक के पिता–जादो उराँव है, जिसके हिस्से की जमीन है। आवेदक का कहना है कि वर्णित भूमि में से 10 डिसमिल जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षीगण द्वारा दखल कर लिया गया है। इसी को आधार मानते हुए आवेदक ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए यह वाद लाया है, इसलिए यह वाद Maintainable है।

विपक्षी हिरामनी कन्डुलना, पति–दानियल कन्डुलना अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि यह वाद Maintainable नहीं है। आवेदक अपने आवेदन में वंशावली का पूर्ण जिक्र नहीं किये हैं। विपक्षी द्वारा आवेदक के मूल आवेदन के कण्डिका–05 एवं कण्डिका–06 को नकारा गया हैं। विपक्षी वर्णित भूमि में से 06 कट्ठा भूमि का मालिक है, जिसे भूमि सुधार, उप–समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय से अनुमति लेकर निबंधित पट्टा से खरीदे हैं, जिसका पट्टा सं०–2462, दिनांक–20.02.2006 हैं तथा परमिशन वाद संख्या–275 R8 II/05-06 है। विपक्षी 10 डिसमिल जमीन पर दखल–कब्जा के साथ रह रहे हैं। यह 10 डिसमिल जमीन निबंधित पट्टा के अलावा है, जिसका एकरारनामा दिनांक–23.02.2006 को कर लिये हैं तथा राँची निगम, राँची में हॉल्डिंग्स टैक्स भी दे रहे तथा बिजली बिल चुका रहे हैं। अतः यह वाद Maintainable नहीं है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। जिसमें कहते हैं कि यह वाद Maintainable है। यह मेरी पुश्तैनी जमीन है जो खतियान के रिमार्क कॉलम नं०–17 में बकब्जा मनसा उराँव नाम दर्ज है। मनसा उराँव अपने पीछे रनसी उर्फ बाहा उराँव, बंधना उराँव, मँगरा उराँव, जादो उराँव, मांगा उराँव एवं सोमा उराँव को छोड़ गये। आवेदक जादो उराँव के वंशज बिरसा कच्छप

23/8/25

कृ०पृ०उल्टे

23/8/25

है एवं मंगरा उराँव के वंशज विनोद कच्छप है। मनसा उराँव के सभी पुत्र के बीच एक हकवाद व्यवहार न्यायालय में चला, जिसका हकवाद सं०—216/1959 है। इस हकवाद में जादो उराँव एवं मंगरा उराँव को 14.5 डिसमिल भूमि प्राप्त हुआ, जो प्लॉट सं०—1083/B एवं 1083/C जिसे Schedule B एवं Schedule C में दर्शाया गया है। उसके बाद जादो उराँव एवं मंगरा उराँव दखल—कब्जा के साथ भूमि पर निवास करने लगे। आवेदक सं०—01 जादो उराँव के वंशज है, आवेदक सं०—02 एवं 03 मंगरा उराँव के वंशज है। जिसे विपक्षीगण ने 29 डिसमिल जमीन पर जबरन दखल—कब्जा कर 10—11 वर्षो से मकान बनाकर कर रह रहे है। आवेदकगण ने कभी भी जमीन विपक्षी को नहीं बेचा। आवेदकगण का कहना है कि दोनों पक्ष कन्डुलना के परिवार से है। विपक्षी हिरामनी कन्डुलना ने गैर—कानूनी तरीके से प्लॉट सं०—1083/B में छल—प्रपंच कर हड़प लिए। प्लॉट सं०—1083/C को भी जेम्स कन्डुलना, पिता—जोन कन्डुलना ने भी हड़प लिये हैं। आगे कहते हैं कि जमीन पर मालिकाना हक आवेकदगण का है, जिसे विपक्षी ने गलत तरीके सें कब्जा किये हुए है। इसलिए यह जमीन आवेकदगण को वापस होना चाहिए। विपक्षीगण ने सही मालिक से जमीन को नहीं खरीदा। जमीन को बेचने वाला सोमा उराँव एवं मांगा उराँव को हकवाद में प्लॉट सं०—1083/E एवं प्लॉट सं०—1083/D प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं कि विपक्षी ने जो वर्णित भूमि को खरीदा है, वह दूसरे व्यक्ति से खरीदे हैं, जबकि मेरे जमीन को कब्जा किए हुए हैं। इसलिए यह वाद चलने योग्य है। आवेदकगण की ओर से खतियान की छायाप्रति, वंशावली की छायाप्रति एवं मुसिंफ न्यायालय, राँची के न्यायालय में चला, जिसके टाईटल सुट सं०—216/1959 की फाईनल डिक्री की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया। इसमें कहते है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, यह वाद कालबाधित है तथा इस वाद में और लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया है। विपक्षी जेम्स कन्डुलना ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—48 का उल्लघंन नहीं किए हैं। विपक्षी भूमि—सुधार उप समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—48 का परमिशन लिए हैं। जिसका परमिशन वाद सं०—1946 RII/2003-04 है। इसके पश्चात् हिरामनी कन्डुलना ने अपने नाम पर निबंधित पट्टा मनसा उराँव से

23/8/25

कृ०पृ०उल्टे

दिनांक—20.02.2006 करवाये। जिसका बुक नं०—1, वाल्युम नं०—96, पृष्ठ सं०—565 से 582 एवं दस्तावेज सं०—2462 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। वर्णित भूमि के खेवट सं०—9/8 में बकास्त भुईहरी और जमीन मालिक का नाम रामसलाम मुण्डा है। विपक्षी ने खाता सं०—223, प्लॉट सं०—1083 में 10 डिसमिल भूमि को खरीदा है और अपने नाम पर राँची नगर निगम, राँची में हॉल्डिग टैक्स देकर घर—मकान बनाए हैं, जिस पर लगभग 90 लाख रूपया खर्च हुआ। इसलिए इस वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" लागु नहीं होता है। विपक्षीगण की ओर से वंशावली दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जादो उराँव अपने पीछे मनसा उराँव (वजरिय पट्टा का रजिस्ट्री दिनांक—15.09.1927 ई० को हुआ था) मनसा उराँव अपने पीछे रनसी उराँव, बंधना उराँव, मंगरा उराँव, एवं मांगा उराँव को छोड़ गये। मांगा उराँव अपने पीछे पीटर उराँव एवं अलविस उराँव को छोड़ गये। ये दोनों विक्रेता सं०—01 एवं 02 है, जो विपक्षी को भूमि निबंधित पट्टा से बेचे हैं। जमीन अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—48 का परमिशन लिया गया है। अतः आवदेक के आवेदन को खारिज किया जाए।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने तथा विपक्षी के भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय से CNT Act 1908 की धारा 48 अंतर्गत परमिशन प्राप्त कर निबंधित पट्टा के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे है कि यह वाद Maintainable नहीं है। इसलिए आवदेक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/8/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

23/8/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.08.28 15:27:40 +05:30
Location: 192.168.239.39